POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 09

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितम्बर, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले महीने की 15 तारीख को हमें आजाद हुए 65 साल पूरे हो चुके हैं। आइये, थोड़ा सा हिसाब-किताब लगाएं, इन सालों के बाद हम कहां खड़े हैं!

'पहला सुख निरोगी काया' के मद्देनजर इस बार देश के नौनिहालों पर नजर डालते हैं। देश में बाल विकास की बहुत सी योजनाओं पर अब तक अरबों-खरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा चुका है। बावजूद इसके, देश के 16 करोड़ बच्चों में से 42 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

देश के कई हिस्सों व खासतौर से दलित वर्ग के बच्चों में यह 70 फीसदी से भी ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे 'राष्ट्रीय शर्म' बताते हुए शर्मिन्दगी जाहिर कर चुके हैं।

राजस्थान के हालात पर नजर डालें तो पाते हैं कि यहां 44 फीसदी से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार है। इनमें से करीब12 फीसदी बच्चे गंभीर हालत में है।

पिछले पांच सालों को ही लें, बाल विकास की कई योजनाओं के अलावा प्रदेश में 54915 आंगनबाड़ी और 6204 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र सरकार की ओर से बच्चों को पोषाहार बांट रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के स्कूलों में भी बच्चों को मिड-डे-मील के नाम पर गर्मा-गर्म पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है।

इन पांच सालों में इन पर 3400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन अफसोस! अभी भी सरकारी रिकार्ड के मुताबिक प्रदेश के 44 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। यानि, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, जहां पांच साल पहले थे।

माता-पिता की सेवा नहीं की तो होगी जेल

माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक जो अपनी निजी आय से अपना गुजारा चलाने में असमर्थ है, अपने बच्चों पर भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसके लिए 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है।

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर माता-पिता व बुजुर्ग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने बच्चों से कानूनन मासिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।
- वे आवास, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सम्बन्धी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए उनसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए हैं, जहां इन मामलों का यथा शीघ्र निपटारा होता है।
- अगर किसी ने उनसे सम्पत्ति हस्तान्तरित करवा ली है, तो सम्पत्ति पाने वाले को सम्पत्ति हस्तान्तरण करने वाले माता-पिता व बुजुर्गों की जरूरतों का पूरा खयाल रखना होगा। अगर सम्पत्ति पाने वाला इसमें असफल रहता है तो सम्पत्ति के हस्तान्तरण को फर्जी करार दिए जाने का प्रावधान भी कानून में है।
- अधिनियम के अनुसार माता-पिता व वृद्धजनों की सही सेवा व देखभाल नहीं करने वालों को अब तीन माह तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- राज्य सरकार को भी वृद्धजनों की न्यूनतम आर्थिक स्तर की जरूरतें पूरी करने लायक पेंशन निर्धारित करनी होगी। उनकी चिकित्सा के लिए साधनयुक्त चिकित्सा वार्ड स्थापित करेगी।
- जो बुजुर्ग अपनी स्वयं की इच्छा से अलग रहता हो, तो उसके जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार पर्याप्त पुलिस सतर्कता का भी इन्तजाम करेगी।

नर्सिंग होम को देना होगा सात लाख रुपए बतौर मुआवजा

नई दिल्ली निवासी रजत और शोभित ने अपनी माँ को हर्निया के ऑपरेशन के लिए एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के दौरान उनकी माँ को बेहोशी की दवा देने के बाद उसे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे वह कोमा में चली गई। ज्यादा हालत खराब होने पर उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन सात दिन बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहोशी की दवा देने के बाद खून में ऑक्सीजन की कमी सामने आई।

रजत और शोभित ने नर्सिंग होम और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पी.एन. गुप्ता के खिलाफ दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। राज्य आयोग ने नर्सिंग होम को उनकी माँ की मौत के लिए दोषी माना और एक लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया।

रजत और शोभित इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मामला राष्ट्रीय आयोग में दाखिल कर दिया। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा और मुआवजे की रकम बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दी। अब राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक नर्सिंग होम महिला के बेटों को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपए अदा करेगा।

करोड़ों खर्च... फिर भी बच्चे कुपोषित

11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों के मुताबिक पांच साल पहले प्रदेश में 0 से 3 साल तक की आयु के 44 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार थे। उस समय यह लक्ष्य तय किया गया था कि वर्ष 2012 तक इस आंकड़े को 25 फीसदी तक लाया जाएगा। इन पांच सालों में करीब 3400 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सरकार अब भी प्रदेश में 44 फीसदी बच्चे कुपोषित बता रही है। इनमें से 12 फीसदी बच्चे तो बहुत ज्यादा कुपोषण की स्थिति में हैं।

जी हाँ, यह कोई स्वयंसेवी संस्था का सर्वे नहीं, खुद राज्य का महिला एवं बाल विकास विभाग यह कह रहा है। विभाग की मंत्री बीना काक ने भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम को लागू करने में कहां लापरवाही रही है, इसकी पूरी पड़ताल कराई जाएगी। अगर अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई तो उन पर कार्रवाई होगी।

योजनाओं का क्रियान्वयन सही नहीं

विधायक राव राजेन्द्र सिंह का कहना है कि आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं। यहां तक की पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सरकार को इस काम में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद् जैसी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इन संस्थाओं को दी जा सकती है।

बिजली ने लगाया जोर का झटका

अब उपभोक्ताओं को अपना बिजली का बिल काफी अधिक चुकाना पड़ेगा। राज्य में बिजली की दरें 25 पैसे से 80 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ा दी गई है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए यह बढ़ोतरी कमर तोड़ने वाली है। वह अपना व बच्चों का पेट काट कर मजबूरी में बिल भरेगा। क्योंकि, बिजली अब जरूरी आवश्यकता बन गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि बिजली कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए यह फैसला मजबूरी में उठाया गया है। किसानों, बीपीएल और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों व गरीबों का भार सरकार उठाएगी। उन्हें पुरानी दरों पर ही बिजली मिलती रहेगी। बढ़ाया गया पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी।

मनरेगा में घपलेबाजी पर जेल की सजा

अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घपलेबाजी पर अदालत ने सख्ती दिखाई है। राज्य सरकार की ओर से अजमेर जिले की जावाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालातों की बेर में 2008-09 के दौरान हुए नरेगा कामों का विशेष सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था। इसमें एक करोड़ 31 लाख 61 हजार 893 रुपए की गड़बड़ियां सामने आई थीं।

मामला ब्यावर की एक कोर्ट में दर्ज कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने तत्कालीन सरपंच व सहायक अभियंता सहित चार दोषियों को सात-सात साल की जेल की सजा एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई । इसके अलावा दो अन्य दोषियों को तीन-तीन साल की सजा व दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

किसानों को सीधे मिलेगा मुआवजा

सूखे की मार झेल रहे किसानों को केन्द्र सरकार सीधे राहत पैकेज मुहैया कराएगी। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के मुताबिक किसानों को जो राहत राशि दी जाएगी, वह राज्य सरकार के माध्यम से नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार के माध्यम से सीधे तौर पर पहुंचाई जाएगी।

इस साल हुई कम बारिश से देश के कई हिस्सों में किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार ने पाला व शीतलहर को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल कर लिया है।

ग्राम सेवकों को मिलेगा विशेष भत्ता

प्रदेश में कार्यरत ग्राम सेवकों को हर महीने 500 रुपए विशेष कार्य भत्ता दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रखा गया था जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा ग्राम सेवकों को पदोन्नति के अवसर देने के लिए पंचायत प्रसार अधिकारी के 265 नए पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई है।

ग्राम सेवकों को 12 जून 2008 के स्थान पर 31 अगस्त 2006 से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का वेतनमान चयनित वेतनमान के रूप में मंजूर किया जाएगा, जो जनवरी 2007 से देय होगा।

पशुपालकों को मिली सौगात

प्रदेश के पशुपालकों और किसानों के लिए 15 अगस्त एक बड़ी सौगात लेकर आया है। अब उनके पशुओं के बीमार होने पर सरकारी पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज होगा और दवाईयां भी मुफ्त मिलेंगी ।

राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि योजना की शुरुआत में 60 करोड़ रुपए की लागत से करीब 87 दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी। पशुओं के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी।

गांव की चौपाल पर ही मिले न्याय

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एन.के. जैन ने कहा है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना जरूरतमंद को गांव की चौपाल पर ही न्याय दिलवाने के लिए हुई है। लिहाजा न्यायाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ग्राम न्यायालयों की समस्याओं को जल्द से जल्द निबटाया जाए।

राजस्थान राज्य न्यायिक एकादमी की ओर से आयोजित ग्राम न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के सामने चुनौतियां विषय पर अपने उक्त विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों को सस्ता एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों को और अधिक अधिकार सम्पन्न व मजबूत बनाया जाना चाहिए।

घर बनाने को मिलेंगे 55 हजार रुपए

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना भी शुरू की जाएगी। राज्य मंत्रिमण्डल ने योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी है। योजना के तहत हर साल एक लाख बीपीएल परिवारों के हर परिवार को मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 5 हजार रुपए शौचालय निर्माण के लिए सरकार अलग से देगी। जिन परिवारों के पास भूमि नहीं होगी उन्हें कलस्टर में तीस वर्गमीटर का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट

सरकार निर्धनों की भलाई के लिए अरबों-खरबों रुपए की योजनाएं बनाती है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। इसका समाधान आज का शासन, प्रशासन, संवैधानिक नियम व व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि, राजनेता व सभी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है।

अपराधी या भ्रष्टाचारी को अगर फांसी की सजा दी जाए, तो भी उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। भ्रष्टाचारी नेताओं व नौकरशाहों के गाल व पेट फूलकर बेडोल हो रहे हैं और आम आदमी कमजोर होता जा रहा है। यह कब तक चलेगा?

-डॉ. भगवत सिंह तंवर, चित्तौड़गढ़

उनकी गलती हमारे सिर

बिजली की दरें बढ़ा कर सरकार ने फिर उपभोक्ताओं पर बेवजह भार बढ़ा दिया है। ऐसा लगने लगा है कि विद्युत विनियामक आयोग भी बिना सोचे-विचारे बिजली कम्पनियों के पक्ष में फैसला देता है।

कम्पनियां छीजत और बिजली चोरी रोकने में विफल क्यों है? कम्पनियों का जो भी घाटा है वह क्या इनके कुप्रबंधन के कारण नहीं है? उनकी गलतियों को छिपाकर ईमानदार उपभोक्ताओं पर भार का ठीकरा फोड़ना कहां तक न्यायसंगत है। इसका मतलब तो यह हो गया कि चोरी व गलती करे कोई और खामियाजा भुगते बेकसूर।

सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उपभोक्ता आज भी संगठित नहीं हैं, अतः उसके विरोध का कोई मायना नहीं रहता।

- राकेश कुमार भारद्वाज, जयपुर

उपभोक्ता कल्याण कोष का दुरुपयोग

राज्य में बने उपभोक्ता कल्याण कोष के पैसे से खाद्य विभाग के टेलीफोन, मोबाइल के बिल, गाड़ियों का पेट्रोल खर्च यहां तक कि बीपीएल गेहूं वितरण उद्घाटन समारोह तक के खर्चे चुकाए जा रहे हैं। पिछले तीन सालों में कोष के लगभग 2.19 करोड़ रुपए ऐसे कामों में खर्च कर दिए गए, जिनका उपभोक्ता कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस कोष के तीन अकाउन्ट हैं और इन तीनों में दिसम्बर, 2008 से 2011 के बीच पौने दो अरब रुपए से ज्यादा राशि जमा हुई। इसमें से सहकारी उपभोक्ता संघ लि. को 13 करोड़ रुपए दे दिए गए। खुद सरकार ने भी 75 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। नियमानुसार इस राशि का उपयोग सिर्फ उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रमों और गतिविधियों में ही किया जा सकता है।

शुरू होगा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि शहरों में लोग स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जन स्वास्थ्य की इस अहमियत को देखते हुए केन्द्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की तर्ज पर नया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पहले से चला आ रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अगले पांच साल तक और जारी रहेगा।

निगरानी

ग्राम गदर के पाठक कृपया पोस्टकार्ड में निम्न विषय पर संक्षेप में अपने विचार नीचे लिखे पते पर भेंजेः

'बच्चों का कुपोषण'

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर